

आदेश पत्रक

केश का प्रकार - दाखिल खारीज

अभिलेख संख्या - 62/2016-17

<p>आदेश की क्रम संख्या और तारीख</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपणी तारीख सहित</p>																				
<p>12/5/16</p>	<p>श्री <u>रमन राणा</u> पिता <u>स्व. सुन्दर राणा</u>                  .....ग्राम <u>रजमुखा</u> अंचल देवरी जिला                  गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यौरे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री <u>जो दीश राणा</u> की जमीन है।                  पिता <u>स्व. कुचन राणा</u> ग्राम <u>रजमुखा</u>                  .....अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 1691                  दिनांक 17.4.95 के द्वारा क्रय किया गया है।</p> <table border="1" data-bbox="389 934 1242 1144"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना न0</th> <th>खाता न0</th> <th>प्लॉट न0</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>रजमुखा</u></td> <td>249</td> <td>31</td> <td>167</td> <td>1 1/2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>170</td> <td>2 1/2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>3 1/2</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>3/6/16</u> को उपस्थापित करें।</p> <p><i>रजमुखा अंचल देवरी जिला गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यौरे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री जो दीश राणा की जमीन है। पिता स्व. कुचन राणा ग्राम रजमुखा अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 1691 दिनांक 17.4.95 के द्वारा क्रय किया गया है।</i></p>	ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा	<u>रजमुखा</u>	249	31	167	1 1/2				170	2 1/2					<u>3 1/2</u>	
ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा																		
<u>रजमुखा</u>	249	31	167	1 1/2																		
			170	2 1/2																		
				<u>3 1/2</u>																		
	<p>अंचल अधिकारी, देवरी।</p>	<p>अंचल अधिकारी, देवरी।</p>																				

30/5/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नहीं

दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरूआ खास/ रैयती/ बकास्त/ खाते की है

जिसकी जमाबंदी पंजी ॥ के भेलूम संख्या 1 के पृष्ठ संख्या 44 पर विक्रेता के दादा के नाम जमाबंदी दर्ज

है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एवं सैरात से बाहर है जमीन पर केता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्री मति रमण राणा

पिता/मति रमण चिंटी राणा ग्राम रक्जामुडा के नाम ... किया जाता है।

ग्राम	थाना न०	प्लॉट न०	रकबा	माल
रक्जामुडा	249	167 170	1 1/2 50 2 50 3 1/2 50	10 पेंस

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संसोधित

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

रमण चिंटी राणा